न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 376/2024

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. गुरचरण सिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखपाल कौर पत्नी स्व. जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. सुखदेव कौर पत्नी स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखवीर कौर पुत्री स्व. जोगेन्द्र सिंह पत्नी ईकबाल सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुखजीत कौर पुत्री स्व. जोगेन्द्र सिंह पत्नी अग्रेज सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

घोषणा हेतु वाद

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सन्दीप सिंह सिद्धु–वकील वादीगण
2. श्री कुलदीप सरां –वकील प्रति.सं. 1ता3

निर्णय

दिनांक :– 5.8.2024

वादीगण गुरचरण सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 04.07.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी संख्या 01 के पिता व वादीया संख्या 02 के पति व प्रतिवादीया संख्या 01 के पुत्र व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता स्व. जोगेन्द्र सिहं पुत्र गुरदयाल सिहं के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एनकेआर पटवार हल्का हीरासिंहवाला में जमाबंदी सवंत 2073–2076 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) के खाता जसकरण सिहं वगैरा कुल खाता 3.5420 हैक्ट नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 01 के पिता व वादीया संख्या 02 के पति व प्रतिवादीया संख्या 01 के पुत्र व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता स्व. जोगेन्द्र सिहं पुत्र गुरदयाल सिहं की दिनांक 15.03.2020 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को उक्त कृषि भूमि जोगेन्द्र सिंह की मृत्यु उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की जद्दी जायदाद है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का उक्त विरासतन प्राप्त कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वादीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की वंशावली को दर्शाया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 01 के पिता व वादीया संख्या 02 के पति जोगेन्द्र सिह ने अपने जीवनकाल मे प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की उन्हें अच्छा दान दहेज देकर व रूपया खर्च कर उनकी शादी कर दी। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अपने ससुराल में पूर्णतः खुश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जोगेन्द्र सिहं के जीवनकाल में अरसा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा कर लिया था। घरू बंटवारा के समय ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व अपनी मर्जी से अपने पिता स्व. श्री जोगेन्द्र सिहं से विरासतन प्राप्त तहसील संगरिया के चक 7 एनकेआर पटवार हल्का हीरासिंहवाला में जमाबंदी सवंत 2073–2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) के खाता सं. 145/104 खाता जसकरण सिहं वगैरा कुल खाता 3.5420 हैक्ट नहरी मय गैर मु कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज में से अपना समस्त हक व हिस्सा का अपनी माता वादीया संख्या 02 सुखपाल कौर के पक्ष में परित्याग कर दिया था यानि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपने पिता से विरासतन प्राप्त उक्त कृषि भूमि में से प्रत्येक ने अपना 1/5 हिस्सा इस प्रकार दोनों का 2/5 हिस्सा यानि 0.472 हैक्ट कृषि भूमि का हक परित्याग वादीया संख्या 02 सुखपाल कौर के पक्ष में कर दिया था। इस प्रकार वादीया संख्या 02 सुखपाल कौर को स्वयं को विरासतन प्राप्त 0.236 हैक्ट कृषि भूमि व अपनी पुत्रीयों प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 से प्राप्त 0.472 हैक्ट कृषि भूमि इस प्रकार कुल 0.708 हैक्ट कृषि भूमि कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीया संख्या 01 सुखदेव कौर काफी वृद्ध हो चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 01 सुखदेव कौर की आयु करीब 84 वर्ष की हो चुकी है प्रतिवादीया संख्या 01 सुखदेव कौर ने अपने पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिहं की मृत्यु उपरान्त स्व जोगेन्द्र सिहं से विरासतन प्राप्त तहसील संगरिया के चक 7 एनकेआर पटवार हल्का हीरासिंहवाला में जमाबंदी सवंत 2073–2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) के खाता जसकरण सिहं वगैरा कुल खाता 3.5420 हैक्ट नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज में से अपना समस्त हक व हिस्सा का अपने पौत्र वादी संख्या 01 गुरचरण सिहं के पक्ष में हक परित्याग कर दिया था यानि प्रतिवादीया संख्या 01 ने अपने पुत्र स्व. जोगेन्द्र सिहं से विरासतन प्राप्त उक्त कृषि भूमि में से अपना स्वयं का 1/5 हिस्सा यानि 0.236 हैक्ट कृषि भूमि का हक परित्याग वादी संख्या 01 गुरचरण सिहं के पक्ष में कर दिया था। इस प्रकार वादी संख्या 01 गुरचरण सिहं को स्वयं को विरासतन प्राप्त 0.236 हैक्ट कृषि भूमि व अपनी दादी प्रतिवादी संख्या 01 सुखदेव कौर से प्राप्त 0.236 हैक्ट कृषि भूमि इस प्रकार कुल 0.472 हैक्ट कृषि भूमि कब्जा काश्त में है इस प्रकार वादीगण घरू बंटवारा के समय से ही निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा इसी अनुसार वादीगण अपनी अपनी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा इसी आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादीगण को पूर्व में हुए घरू बंटवारा के अनुसार विरासतन प्राप्त व हक परित्याग अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 04 के अनुसार प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मानते हुए इसी अनुसार राजस्व विभाग रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज करवा देवें। इस पर प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे अन्त में कल ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने [illegible] दार की रिपो[illegible] बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया [illegible] राजीनामा पेश प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 25.07.20[illegible] को राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 द्वारा जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमे राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। जमाबन्दी दस्तावेज चक न. 7 एन.के.आर. खाता स. 145/104 ज.स. 2073–76 प्रदर्श EX-1 चक न. 7 एन.के.आर. खाता स. 5/4 ज.स. 2041 प्रदर्श EX-2, चक न. 7 एन.के.आर. खाता सं. 17/14 ज.स. 2041 प्रदर्श EX-3, आधार कार्ड प्रदर्श EX-4A TO EX-8A, जोगेन्द्र सिंह का मृत्यु प्रमाण प्रदर्श EX-9A, ग्राम पंचायत जण्डवाला सिखान द्वारा जारी तस्दीक वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श EX-10A है। साक्ष्य वादी मे वादी गुरचरण सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि चक न. 7 एन.के.आर. खाता सं. 145/104 ज.सं. 2073–76 जमाबन्दी मे वादी के पिता के नाम अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है वादीगण एव प्रतिवादीगण स. 1 ता 3 का आपस मे कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हो चुका है। वादपत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वादी के अभिभाषक ने राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया। वादपत्र में वर्णित आराजी के विरासतन साक्ष्य के तौर पर चक नं. 7 एन.के.आर. खाता सं. 145/104 ज.सं. 2073–76 व इसी चक के खाता सं. 5/4, चक नं. 7 एन.के.आर. खाता सं. 17/14 ज.सं. 2041 की जमाबन्दीयां पेश की। स्व. जोगेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज तहसील संगरिया चक 7 एन.के.आर. के वर्तमान खाता सं. 145/104 में दर्ज कुल 3.5420 हैक्ट में 1/3 हि. में से प्रतिवादी सं 1 को विरास्तन प्राप्त 1/5 हि. अर्थात 0.236 है. कृषि भूमि का हक त्याग वादी से 1 के पक्ष में पुर्व में घरूबंटवारा में किया हुआ है तथा प्रतिवादी से 2 सुखवीर कौर व प्रतिवादी सं. 2 सुखजीत कौर ने भी इसी चक 7 एन. के आर के वर्तमान बाता सं 145/104 में दर्ज कुल 3.5420 है. में अपने पिता स्व. जोगेन्द्र सिंह के नाम से 1/3 हिस्से में से पिता स्व. जोगेन्द्र सिंह से विरास्तन प्राप्त प्रतिवादी सं. 2 सुखवीर कौर ने अपने 1/5 हिस्सा 0.236 है. व प्रतिवादी सं 3 सुखजीत कौर ने भी अपने 1/5 हिस्सा 0.236 है. कृषि भूमि अर्थात अपने समस्त विरास्तन हिस्सा का हक त्याग अपनी माता वादी सं 2 सुखपाल कौर के पक्ष में कर दिया है। वादी सं. 1 को 0.472 है. व वादी सं. 2 को 0.708 है. कृषि भुमि के वादीगण हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का वादग्रस्त आराजी में अब कोई हक हिस्सा शेष नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है जिस पर वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया [illegible] कि वादीगण के पिता/पति स्व. जोगेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज [illegible] चक [illegible] एन.के.आर. के वर्तमान खाता सं. 145/104 में दर्ज कुल 3.5420 है. आराजी में से 1 [illegible] हिस्सा यानि 1.180 है. में से वादी सं. 1 को 0.472 है. व वादी सं. 2 को 0.708 है. कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर स्व. जोगेन्द्र सिंह का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :—यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक—हिस्सा किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 376 / 2024

1. गुरचरण सिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखपाल कौर पत्नी स्व. जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. सुखदेव कौर पत्नी स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखवीर कौर पुत्री स्व. जोगेन्द्र सिंह पत्नी ईकबाल सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुखजीत कौर पुत्री स्व. जोगेन्द्र सिंह पत्नी अग्रेज सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

<u>घोषणा हेतु वाद</u>

दिनांक :– 5.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सन्दीप सिंह सिद्धु वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री कुलदीप सरां वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादीगण के पिता / पति स्व. जोगेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज तहसील संगरिया चक 7 एन.के.आर. के वर्तमान खाता सं. 145 / 104 में दर्ज कुल 3.5420 है. आराजी में से 1 / 3 हिस्सा यानि 1.180 है. में से वादी सं. 1 गुरचरण सिंह को 0.472 है. व वादी सं. 2 सुखपाल कौर को 0.708 है. कृषि भुमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर स्व. जोगेन्द्र सिंह का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज [illegible] में के मय शुद निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...[illegible] अदा करें। खर्चा वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X... [illegible] पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.8.24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:59:00 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़